न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 79 / 2012

1 मदनलाल पुत्र लिछमण जाति गुर्जर निवासी नूआं हाल निवासी उतरासर तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मु. जुली पत्नी मदन जाति गुर्जर निवासी अलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील मुतफरीक बखिलाफ आदेश न्यायालय
एस.डी.ओ. साहिब झुन्झुनू बउनवानी मुकदमा
मदनलाल बनाम जुली अ.धा. अस्थाई निषेधाज्ञा
मु.सं. 91 / 2010 बखिलाफ आदेश 09.08.2012

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.11.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2010 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र 212 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 127, 128 वाके ग्राम हरनाथपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में जमीन जेर बहस की खातेदारी ओनाड सिंह की मानकर के उक्त ओनाड़ सिंह के तीन पुत्रीयां होना माना है व उक्त ओनाड़सिंह का देहान्त होना माना है परन्तु इस तरफ कोई गौर नहीं किया कि जब ओनाड़सिंह की तीन पुत्रीयां है तो नामान्तकरण अकेली जुली देवी के नाम कैसे आ गया व जमीन जैर बहस की खातेदार जुली देवी 1/3 हिस्से की ही है परन्तु विचारण न्यायालय ने अकेली जुली देवी को ही एक तरह से खातेदारी दे दी है। इस तरफ गौर नहीं कर मनमाने रूप से निणर्य पारित कर विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गोर नहीं किया कि नानू देवी जीवीत है तो इसको किसी ने देखा है क्या व आखिरी बार कब देखा इस बाबत भी रेस्पोडेन्ट का कोई शपथ पत्र या शहादत नहीं है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के हक में हक त्याग होना भी नही माना है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफा गोर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट को अकेली को ही 1/3 हक व हिस्से की जगह पुरी जमीन अपने आदेश के तहत देदी है। इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपीलान्ट की माता का देहान्त हो गया है इस बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर निर्णय पारित करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सन् 1981 से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट जुली की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि में अपीलांट के कब्जे काश्त का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 में इस खातेदारी को चुनौती दी है। अपीलांट के हक अधिकार का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। कब्जे काश्त की साक्ष्य के अभाव में अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों के अनुसार निर्धारण कर विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प जयपुर)